

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १ सन् २०२५

मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, २०२५

वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०२५ है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये उन्नीस हजार दो सौ छः करोड़ उनयासी लाख पांच सौ उनतीस होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ के दौरान दिए जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ के लिए राज्य की संचित निधि में से रु १,६२,०६,७६,००,५२६ का दिया जाना.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में, वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपये में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधानसभा द्वारा मतदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
		रुपये	रुपये	रुपये
००६. भारत विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	०	२००	२००
००६. वित्त	राजस्व	१००	०	१००
००६. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राजस्व	३००	०	३००
	पूंजी	३००	०	३००
०१०. वन	राजस्व	१,३१,६२,४४,०००	०	१,३१,६२,४४,०००
	पूंजी	२,६३,०३,०००	०	२,६३,०३,०००
०११. औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन.	राजस्व	७,२६,००,००,०००	०	७,२६,००,००,०००
०१२. ऊर्जा	राजस्व	४२,३४,८०,००,४००	०	४२,३४,८०,००,४००
	पूंजी	३००	०	३००

(१)	(२)	अनुसूची क्रमांक	(३)	रुपये
०१३. किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व पूंजी	१,१०० २००	० ०	१,१०० २००
०१६. मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राजस्व	१,२४,३२,१०,२१६	५,६०,३२२	१,२४,३८,००,५४१
०१७. सहकारिता	राजस्व	३४,५०,००,०००	०	३४,५०,००,०००
०१८. श्रम	राजस्व	६,००,००,००,०००	०	६,००,००,००,०००
०२०. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व पूंजी	३०,००,००,८०० २८,४४,७०,००,१००	० ०	३०,००,००,८०० २८,४४,७०,००,१००
०२२. नगरीय विकास एवं आवास	राजस्व पूंजी	५,३८,००,२०० ४००	० ०	५,३८,००,२०० ४००
०२३. जल संसाधन	पूंजी	१०,००,००,००,०००	०	१०,००,००,००,०००
०२४. लोक निर्माण कार्य	राजस्व पूंजी	१,८१,००,००,००० १२,६२,००,००,०००	० ५,००,००,००,०००	१,८१,००,००,००० १७,६२,००,००,०००
०३०. ग्रामीण विकास	पूंजी	८,०५,३६,००,०००	०	८,०५,३६,००,०००
०३१. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व पूंजी	१,६०० ८,००,००,३००	० ०	१,६०० ८,००,००,३००
०३३. जनजातीय कार्य	राजस्व	८३,००,००,०००	०	८३,००,००,०००
०३५. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राजस्व	१०,७५,८०,००,०००	०	१०,७५,८०,००,०००
०३६. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	पूंजी	२०,००,००,००,०००	०	२०,००,००,००,०००
०४३. खेल और युवा कल्याण	पूंजी	१००	०	१००
०४४. उच्च शिक्षा	पूंजी	०	१४,३६,५६०	१४,३६,५६०
०४७. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	राजस्व	१,७१,४४,१०,०२८	०	१,७१,४४,१०,०२८

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०४८. नर्मदा घाटी विकास	राजस्व	१६,६०,००,०००	०	१६,६०,००,०००
	पूँजी	२८,६४,५०,००,०००	०	२८,६४,५०,००,०००
०४९. अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	५०,००,००,०००	०	५०,००,००,०००
०५०. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	४४,००,००,०००	०	४४,००,००,०००
०५४. पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	३,८०,००,००,०००	०	३,८०,००,००,०००
योग				
	राजस्व :	७८,८६,०६,६८,७४७	५,६०,३२२	७८,८६,१२,५६,०६९
	पूँजी :	१,०८,१७,५२,०४,७००	५,००,१४,३६,७६०	१,१३,१७,६६,४१,४६०
	वृहद् योग :	१,८७,०६,५८,७३,४४७	५,००,२०,२७,०८२	१,९२,०६,७९,००,५२९

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ (१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिये अपेक्षित है।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :
तारीख ०६ मार्च, २०२५.

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के खण्ड (३) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशासित.”

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.